फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

धीसु बनाम मांगीलाल

किस्म मुकदमा ......धारा...... नं0 ......90...... सन् ......2016......

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1-4-16	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 20-5-16 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
23-5-16	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प चोसला पर पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुये। जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण की ओर से वकील श्री सुरजीत चन्द वादीगण उपस्थित नहीं। प्रदीप जोशी, एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण को जितनी ही मर्तबा विधिवत तामील करवाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील वादीगण शहादत प्रस्तुत नहीं कर सीधी बहस करना चाहते है। वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया गया। विवादित काश्तकारान ग्राम चोसला पटवार हलका चोसला तहसील मांडल में स्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज रेकर्ड है। जिसकी वार्ड क्र. 1 के अनुसार जमाबंदी की नकल संवत 2069 से प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड सं. 2069 से 2072 की होती है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड में रामलाल का भी नाम दर्ज है किन्तु उसका देहान्त हो जाने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित काश्तकारान केवल [signature]	

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म के मे जा

खातेदारी में होने के लगान जमा कराने अपने-अपने
हिस्से की भूमि का विभाजन करके अलग काश्त करते है।
कठिनाई आती रहती है इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादी
के मध्य अपने हिस्सानुसार भूमि का विभाजन करा राजस्व
रेकार्ड में इनके इन्द्राज चाहते है, प्रतिवादी क्र.1 ने
~~अपर~~ उपस्थित होकर वाद पत्र के खण्डन में न तो जवाबदावा
ही प्रस्तुत किया और न ही कोई दस्तावेज ही पेश किया
है इस कारण वादीगण अपने हिस्से व कब्जे का आराजियात
का विभाजन करा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज चाहते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद
पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण वादीगण
का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मोडक
से विभाजन स्कीम मंगवाना उचित समझता हूँ। अतः

:: आदेश ::

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर
डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी क्र.1 इस
आशय की जारी की जाती है कि ग्राम चौदराक पटवार
हल्का चौदराक तहसील मोडक में स्थित खसरा नम्बर
540 रकबा 12 बिस्वा, 550 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 2
रकबा 1 बीघा भूमि का मीटर एवं बाउण्ड्रीज के आधार
पर विभाजन किये जाने का ~~आदेश~~ वादीगण एवं प्रतिवादी
क्र.1 के मध्य किये जाने का आदेश दिया जाता है।
इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 के मध्य विभाजन
किया जावे। विभाजन स्कीम तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार
मोडक को प्रारम्भिक डिक्री की नकल भिजवाते हुए लिखा
जावे। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार
डिक्री जारी हो। वास्ते विभाजन स्कीम हेतु पत्रावली
दिनांक 2-7-16 को पेश हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी